जनजातीय समाज– संवैधानिक प्रावधान एवं विकास के प्रतिमान

मेहराब खाँ

सहायक–आचार्य–राजनीति विज्ञान
एस.बी.के. राजकीय महाविद्यालय
जैसलमेर

भारतवर्ष सदैव से ही सांस्कृतिक वैविध्य एवं बहुलता का धनी देष रहा हैं। भारत की संस्कृति में अपने में विलीनीकरण एवं समायोजन की अद्भूत क्षमता हैं। भारतवर्ष में आदिकाल यथा हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ों काल से जो जातियां निवास करती आ रही हैं वे जनजातीय समाज का अंग हैं। ब्रिटिष काल में इन्हें वंचित वर्ग के नाम से अधिसूचित किया गया हैं। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति शब्द आदिवासी लोगों के लिए प्रषासकीय शब्दावली के रूप में स्वीकार किया गया हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950 के द्वारा विभिन्न जनजातियों को अधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 86 प्रतिषत जनजातीय जनसंख्या हैं।

भारत के महान संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने एवं समान रूप से सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हेतु विषेष रूप से इन अधिकारों से वंचित जनजातीय समाज हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किये हैं ताकि यह जनजातीय समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके।

जनजातीय समाज के विकास की संवैधानिक परिकल्पना–

जनजातीय समाज की अपनी भाषा संस्कृति, रहन–सहन, रीति रिवाजों के संरक्षण को समाहित करते हुए बनाई गई हैं। भारत के सम्पूर्ण संविधान में जनजातीय समाज के अधिकारों के संरक्षण एवम् उत्थान हेतु अनुच्छेद 15 (4), 19 (5), 23, 29, 164, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339 (i) एवं अनुच्छेद 371 (A,B,C) की व्यवस्था की गई हैं।

इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जनजातीय समाज के समानता, प्रतिष्ठा मौलिक स्वरूप एवं पहचान की रक्षा भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने अपनी संविधान प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनेक अधिनियमों यथा अस्पृष्यता आचरण निषेध अधिनियम 1955 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 का निर्माण किया गया हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास की संवैधानिक व्यवस्थाएं :–

भारतीय संविधान सभा द्वारा जिस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया हैं उसमें भारत के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई हैं। संविधान निर्माण के समय से ही भारत के सभी नागरिकों के लिए न केवल समानता की व्यवस्था की गई हैं बल्कि इसमें भारत में प्राचीनकाल से चली आ रही सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयत्न का भी समावेष किया गया हैं। देष आजाद होने के समय से ही समाज की कुछ जातियों की स्थिति इतनी गिरी हुई थी कि वे केवल अवसर की समानता दिये जाने से ही समान स्तर पर नहीं आ सकती थी, बल्कि उन्हें सबके साथ समानता की स्थिति पर लाने के लिए संवैधानिक एवं सरकारी स्तर पर भी कुछ विषेष व्यवस्थाएं की जानी आवष्यक थी। समतामूलक समाज की स्थापना हेतु संविधान सभा में इस बात पर आम सहमति थी कि दलित एवं पिछड़ा वर्गो के सर्वांगीण विकास के लिए विषेष प्रयास किये जाने चाहिये ताकि इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर सर्वांगीण विकसित भारत का निर्माण किया जा सके।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से अभिप्राय :–

अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार जाति तथा अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार क्षेत्र एवं जाति रहा हैं। ये दोनो जातियां 1931 ईस्वी की जनगणना के आधार पर अन्य जातियों से अलग स्वीकार की गई हैं। भारत का

राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्ष करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियों का उल्लेख कर सकेगा, प्रत्येक राज्य के अनुसार पृथक पृथक सूचियां बनाई जायेगी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियां देष की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिषत हैं। वहीं अनुसूचित जनजातियां देष की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिषत हैं।

अनुसूचित जातियों में सामान्यतः वे जातियां शामिल की गई हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर थी तथा सामाजिक दृष्टि से निम्नतम समझे जाने वाले कार्य यथा– मल उठाना, झाडू देना, मृत पशु उठाना, चमड़ा उतारना आदि कार्य करती थी।

अनुसूचित जनजातियां वे जातियाँ हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रह रही हैं, जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों तक सभ्यता का प्रकाष पहुंच नहीं पाया हैं, ये जातियां अपनी विषेष स्थिति के कारण बाकी समाज से अलग हो गई थी।

संवैधानिक व्यवस्थाएं :–

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित विषेष व्यवस्थाएं की गई हैं :–

1–संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में स्थान आरक्षित किये गये हैं। इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन स्थानों में से अनुसूचित जातियों हेतु 84 एवं जनजातियों हेतु 47 स्थान सुरक्षित हैं।

2– संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता हैं कि राज्य समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को उपर उठाते समय विषेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विषेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा।

3– अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा, साथ ही इसी अनुच्छेद में सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, कुंओं, तालाबों, सड़कों, स्थानघरों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं।

4– अनुच्छेद 335 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन आने वाली सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं।

5– अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु और उनसे सम्बन्धित विषयों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विषेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की गई हैं। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया हैं।

6– अनुच्छेद 16 जिसमें सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता की बात कही गई हैं। इस बात का उल्लेख हैं कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच नौकरी प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

7– अनुच्छेद 17 द्वारा भारतीय समाज में प्राचीनकाल से चली आ रही छुआछूत की व्यवस्था को अवैध घोषित किया गया हैं एवं इसका किसी भी रूप में आचरण दण्डनीय अपराध घोषित किया गया हैं। अनुच्छेद 23 द्वारा भारतीय समाज में बेगार प्रथा एवं बलात श्रम की प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया हैं।

8– अनुच्छेद 25 (ख) के द्वारा सभी धार्मिक हिन्दू संस्थाओं को कानूनी रूप से हिन्दुओं के सभी वर्गो और श्रेणियों के लिए खोलने के लिए संसद को अधिकृत कर दिया गया हैं।

9– अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई हैं कि भारत का राष्ट्रपति दो आयोगों की नियुक्ति करेगा, प्रथम का कार्य अनुसूचित क्षेत्रों में प्रषासन तथा दूसरे का कार्य पिछड़ी हुई जातियों की शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति की जांच करना होगा, इसके अतिरिक्त आयोग उनकी उन्नति के उपायों की ओर संघ तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करेगा।

10– संविधान के 65 वें संषोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया हैं परन्तु 89 वें संषोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों दोनो के लिए अलग–अलग आयोगों की स्थापना कर दी गई हैं।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता हैं कि वर्तमान समय में सामाजिक समानता की यथेष्ट प्राप्ति एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हेतु संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप जहां एक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को संविधान प्रदत अधिकारों एवं संवैधानिक प्रावधानों को कठोरतापूर्वक लागू करने की आवष्यकता हैं, साथ ही आर्थिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी इस तरह से होना चाहिये कि इसका अधिकारिक लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिल सके। क्योंकि आर्थिक न्याय से ही राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति आसानी से हो सकती हैं, साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्याओं के प्रति हमारी सामाजिक मनोवृति और दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की आवष्यकता हैं, तभी हम संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के मार्ग को प्रषस्त कर सकते हैं।

संदर्भ :–

1– दीक्षिक कुमार डॉ0 ध्रुव, समाजषास्त्र, अनुसूचित जाति, षिवलाला अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृष्ठ 3
2– डॉ0 पुखराज जैन, भारत की सांस्कृतिक विरासत, पृष्ठ 222–223
3– डॉ0 मंजू गुप्ता, जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली 2007, पृष्ठ–3
4– डॉ0 बी. एल. फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा, पृष्ठ 172, 175, 205